प्रकरण संख्या 35/2018 लक्ष्मणसिंह बनाम रघुनाथसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाथावतों का गुडा में साबिक आराजी नंबर 60 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नंबर 55 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नंबर 81 रकबा 4 बिस्वा व आराजी नंबर 82 रकबा 3 बिस्वा स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 36 रकबा 0.0950 हैक्टर, आराजी नंबर 48 रकबा 0.0900 हैक्टर, आराजी नंबर 63 रकबा 0.6600 हैक्टर, आराजी नंबर 960/2 रकबा 0.0800 हैक्टर, आराजी नंबर 983/328 रकबा 0.1500 हैक्टर, आराजी नंबर 65 रकबा 0.0300 हैक्टर है। उक्त आराजी नंबर 60 का 1/2 हिस्सा बाबूसिंह का व बकाया आराजी नंबर 55, 81, 82 का बाबूसिंह प्रतिवादी संख्या 2 मालिक काबिज था तथा दिनांक 21.03.1987 के पहले हमेरसिंह जी का स्वर्गवास हो जाने से बाबूसिंह उसका अकेला वारिस था, जिसने अपना कुलिया हिस्सा दिनांक 21.03.1987 को वादीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से वादीगण काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि बाबूसिंह के नाम दर्ज रह गयी, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ने बाबूसिंह से मिलकर दिनांक 08.04.2010 को उक्त जमीन का विक्रय पत्र अपने हक में करवाकर नामान्तकरण खुलवा लिया। प्रतिवादी संख्या 1 के हक में किया गया विक्रय नल एण्ड बोईड है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर हाल आराजी नंबर 36 रकबा 0.0950 हैक्टर का 1/2 हिस्सा, आराजी नंबर 48 रकबा 0.0900 हैक्टर, आराजी नंबर 63 रकबा 0.6600 हैक्टर, आराजी नंबर 960/2 रकबा 0.0800 हैक्टर, आराजी नंबर 983/328 रकबा 0.1500 हैक्टर, आराजी नंबर 65 रकबा 0.0300 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 16.05.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.03.1987 के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया। तत्पश्चात दिनांक 02.05.2018 को अपने पूर्व निर्णय दिनांक 16.05.2017 में आंशिक संशोधन कर ग्राम वरडा के स्थान पर ग्राम नाथावतों का गुडा पढ़े जाने का आदेश दिया तथा यह भी आदेश दिया वादीगण के [illegible] दी गयी दाद प्रतिवादी बाबूसिंह के अपने [illegible] दी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 03 [illegible] 2018 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से वकील श्री सुनील शर्मा उपस्थित हुए एवं उनकी ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके साथ न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 2 दक्षिण, उदयपुर व सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां पेश कर उन्हें अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.05.2018 विधि विरूद्ध होकर बिना अधिकार के है। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त आदेश किस कानून के तहत पारित किया गया है तथा उक्त आदेश बिना पक्षकारों को सुने पारित किया गया है। जब डिक्री में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया गया तो फिर निर्णय में हेरफेर करने का अधिनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो रिव्यू प्रार्थना पत्र था, न तहसीलदार पक्षकार थे, परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट पर जो आदेश पारित किया गया, वह बिना अधिकार के होकर निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय को तो डिक्री की पालना करनी चाहिए, लीसपेण्डेन्सी के तहत कोई भी इन्द्राज किये गये हैं तो वे सब वोईड हैं तथा इन इन्द्राज को कानून के किसी भी प्रावधान के तहत देखा ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति मं अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह गलत होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि माननीय जिला कलक्टर न्यायालय में बाबूसिंह की बहन गुलाब कुंवर ने जिला कलक्टर न्यायालय में अपील पेश की जो स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 112 को निरस्त किया गया एवं तहसीलदार को हमेरसिंह के वारिसान की पुनः जांच कर प्रकरण खोलने के आदेश दिये गये। उसी आदेशानुसार गुलाब कुंवर का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ तथा बाद में गुलाब कुंवर द्वारा अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विक्रम सिंह को किया गया एवं बाद में विक्रम सिंह द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 तथा अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्टगण के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय किया गया, तब से रेस्पोन्डेन्टगण मालिक काबिज हैं। उक्त हिस्से बाबत् अपीलान्ट को इसी अपील के माध्यम से चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपील में रेस्पोन्डेन्टगण के नाम निष्पादित विक्रय पत्रों को वोईड बताया गया है, जबकि रेस्पोन्डेन्टगण बोनाफाईड परचेजर हैं। उनके विक्रय पत्रों को वोईड कहने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है। यदि अपीलान्ट को उक्त विक्रय पत्रों से कोई ग्रिवेन्स है तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए, जो अपीलान्ट द्वारा आज दिन तक नहीं दी गयी है। अतः अपील गलत आधारों पर होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2017 को अपीलान्ट/वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.03.1987 के आधार पर उन्हें खातेदार घोषित किया गया है, किन्तु बाद में दिनांक 02.05.2018 को पुनः यह आदेश पारित किया कि ''प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 में आंशिक संशोधन किया जाता है। निर्णय में अंकित ग्राम वरडा के स्थान पर ग्राम नाथावतों का गुडा पढ़ा जावे एवं निर्णय में वादीगण के पक्ष में दी गयी दाद प्रतिवादी बाबूसिंह के अपने हिस्से पर ही प्रभावी रहेगी।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है, क्योंकि इस बाबत् न तो कोई रिव्यू प्रार्थना पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं न ही उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टगण अथवा अन्य पक्षकारान को कोई सूचना दी गयी है। ऐसी स्थिति में बिना अपीलान्ट/वादीगण को सुने उनके पक्ष में पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आंशिक संशोधन बाबत् जो आदेश पारित किया गया है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्टगण एवं अन्य पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं उसे सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 06.04.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested

(अनिता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर